न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।१४ निगरानी -R. 2274-III/14

पंजाब सिंह पुत्र मुन्नालाल गुर्जर,
निवासी- ग्राम कंखोंदा तेहसील-नरवर,
जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)

-------- प्रार्थी

श्री एस० के० अवस्थी, अभि० द्वारा आज दि 25-7-14 को प्रस्तुत
25-7-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

रामदीन पुत्र परसुराम, निवासी वार्ड क्रमांक १२,
करैरा, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) ।

------- प्रतिप्रार्थी

2453 ... 2416198

निगरानी बिरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय नरवर, जिला शिवपुरी दिनांक २२-७-१४। प्र०क्र० २६।१३-१४।अ-७० अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा व कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में प्रकरण की प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में स्पष्ट आपत्ति की गई है । इस प्रचलनशीलता की आपत्ति का निराकरण किये बिना प्रकरण प्रतिप्रार्थी की साक्ष्य हेतु नियत किया जाना न तो न्यायोचित ही है और न ही कानून सही है ।

४- यह कि, प्रकरण की प्रचलनशीलता एक विधिक बिन्दु है, जब

क्रमशः---२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2274-तीन/14 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	